NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 26-12-2024

विषय सूची

भारत-सऊदी अरब रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की संभावनाएँ खोज रहे हैं

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन के 100 वर्ष

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना

असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) 2023-24

अमेरिका और चीन ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते को नवीनीकृत किया

चुनाव आयोग के चुनाव संचालन नियम में संशोधन

संक्षिप्त समाचार

PM-ABHIM योजना

शेर पूँछ वाले मकाक (Lion-tailed macaque)

माइटोकॉन्ड्रियल DNA और जैविक उम्र बढ़ने के बीच सहसंबंध

जल्लीकट्टू के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER)

वीर बाल दिवस

सुशासन दिवस

बॉक्सिंग दिवस (Boxing Day)

भारत-सऊदी अरब रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की संभावनाएँ खोज रहे हैं

संदर्भ

- भारत और सऊदी अरब रक्षा उत्पादन को स्थानीय बनाने के लिए संयुक्त उद्यमों और औद्योगिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करके रक्षा सहयोग में वृद्धि कर रहे हैं।

भारत सऊदी रक्षा सहयोग

- भारत और सऊदी अरब रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता और आपसी विकास प्राप्त करने के लिए रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- **साझा लक्ष्य:** सऊदी अरब का लक्ष्य भारत की मेक इन इंडिया पहल के साथ संरेखित करते हुए विज़न 2030 के अंतर्गत अपने रक्षा व्यय का 50% स्थानीय बनाना है।
- सऊदी अरब ने रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम मुनिशन इंडिया लिमिटेड से गोला-बारूद के लिए $250 मिलियन का अनुबंध किया।
- सऊदी अरब ने भारत फोर्ज से 155 मिमी. एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS) क्रय किया है।
- **संयुक्त अभ्यास:**
  - **सदा तनसीक:** जनवरी 2024 में राजस्थान में आयोजित पहला सैन्य अभ्यास।
  - **तरंग शक्ति:** सऊदी अरब ने भारत के सबसे बड़े हवाई अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया।
  - **अल मोहद अल हिंदी:** 2022 में प्रारंभ किया गया द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास।

भारत सऊदी अरब संबंध

- **राजनीतिक संबंध:** दोनों देशों ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।
  - 2006 की शाही यात्रा के परिणामस्वरूप दिल्ली घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके पश्चात् 2010 में रियाद घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित कर दिया।
  - भारतीय प्रधानमंत्री की 2019 की रियाद यात्रा के दौरान रणनीतिक भागीदारी परिषद (SPC) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने भारत-सऊदी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय परिषद की स्थापना की।
- **आर्थिक संबंध:** भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है; सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
  - 2023-24 में भागीदारों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 43.3 बिलियन डॉलर था।
  - भारत में सऊदी का प्रत्यक्ष निवेश 3.15 बिलियन डॉलर (मार्च 2022 तक) था।
  - संयुक्त उद्यम 100% स्वामित्व वाली संस्थाओं के रूप में 2,783 भारतीय कंपनियाँ पंजीकृत थीं, जिनका राज्य में लगभग 2 बिलियन डॉलर का निवेश था। (जनवरी 2022 तक)
- **ऊर्जा सहयोग:** वित्त वर्ष 23 में सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद स्रोत था।

- ○ भारत ने वित्त वर्ष 23 में देश से 39.5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कच्चा तेल आयात किया, जो भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 16.7% था।
- ○ वित्त वर्ष 23 में सऊदी अरब से भारत का LPG आयात 7.85 MMT था, और इसके कुल पेट्रोलियम उत्पाद आयात का 11.2% था।
- **भारतीय प्रवासी:** 2023 तक, सऊदी अरब में 2.6 मिलियन भारतीय थे। यह बांग्लादेश के पश्चात् देश में विदेशी श्रमिकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।

भविष्य का दृष्टिकोण

- रक्षा आयात पर निर्भरता कम करने और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन देने की साझा आकांक्षा दोनों देशों के लिए महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है।
- AI एवं साइबर सुरक्षा जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में संयुक्त उद्यम और सहयोग रणनीतिक स्वायत्तता में वृद्धि कर सकते हैं।
- विज़न 2030 और मेक इन इंडिया के अंतर्गत अपने लक्ष्यों को संरेखित करके, भारत एवं सऊदी अरब वैश्विक रक्षा परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर सकते हैं।
- सऊदी अरब में भारतीय श्रमिकों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सहयोग आवश्यक है, जो दोनों देशों के लिए अधिक आर्थिक स्थिरता और विकास में योगदान देगा।

Source: TH

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन के 100 वर्ष

संदर्भ

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बेलगावी में विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई है।
- इनमें कांग्रेस कार्य समिति (CWC) का दो दिवसीय विस्तारित सत्र और **'जय बापू, जय भीम, जय संविधान'** थीम पर एक सार्वजनिक रैली सम्मिलित है।

कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन के बारे में (26-27 दिसंबर, 1924)

- यह कर्नाटक के बेलगावी (तब बेलगाम) में आयोजित कांग्रेस का 39वाँ अधिवेशन था।
- यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तीव्र राजनीतिक गतिविधि और बढ़ती गति का काल था।
- इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, यह एकमात्र बार था जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
- 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, सरोजिनी नायडू और खिलाफत आंदोलन के नेता मुहम्मद अली जौहर एवं शौकत अली सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया था।
- यह उत्पीड़न के सामने एकता, अहिंसा और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण था।

प्रमुख निर्णय और परिणाम

- **असहयोग और सविनय अवज्ञा:** महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रभावी हथियार के रूप में असहयोग और सविनय अवज्ञा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

  - ये सिद्धांत नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन सहित पश्चात् के आंदोलनों की आधारशिला बन गए।
- **खादी को बढ़ावा:** सत्र ने आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में खादी (हाथ से काता हुआ कपड़ा) को बढ़ावा देने के महत्त्व पर बल दिया।
  - इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को पुनर्जीवित करना और ब्रिटिश वस्तुओं पर निर्भरता कम करना था।
- **सांप्रदायिक सद्भाव:** गांधी ने भारत में विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के मध्य सांप्रदायिक सद्भाव एवं एकता की आवश्यकता पर बल दिया।
  - औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा नियोजित विभाजनकारी रणनीति का सामना करने में यह महत्त्वपूर्ण था।

कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन का महत्त्व

- **गांधी का नेतृत्व:** महात्मा गांधी के राष्ट्रपतित्व ने अहिंसा, सांप्रदायिक सद्भाव और स्वराज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। गांधी के विचारों और रणनीतियों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भविष्य के आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया।
- **स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव:** सत्र ने किसान चेतना को प्रोत्साहन दिया, खादी का प्रसार किया और विशेष रूप से कर्नाटक में ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहित किया।
  - इसने कांग्रेस के नेतृत्व वाली पहलों में किसानों की भागीदारी को भी बढ़ाया।
- **एकता और समावेशिता:** सत्र में भारत के विभिन्न हिस्सों से प्रमुख नेता सम्मिलित हुए, जिनमें **जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सी. राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और कई अन्य** सम्मिलित थे। यह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीय नेताओं की एकता और सामूहिक संकल्प का प्रतीक था।
- **सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव:** प्रसिद्ध गायिका वीने शेषना ने **'उदयवगली नम्मा चालुवा कन्नड़ नाडु'** गीत प्रस्तुत किया जो **कर्नाटक के एकीकरण आंदोलन का गान** बन गया।
  - इस कार्यक्रम ने स्वतंत्रता संग्राम में सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

Source :IE

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अन्तर्राज्यीय केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना

- 2021 में, केन-बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सरकारों के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- **परियोजना:**
  - केन नदी से जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित करना, जो यमुना की दोनों सहायक नदियाँ हैं।
  - केन-बेतवा लिंक नहर की लंबाई 221 किलोमीटर होगी, जिसमें 2 किलोमीटर की सुरंग भी सम्मिलित है।
  - इसके दो चरण हैं:
    - **चरण-I** में दौधन बाँध परिसर और इसकी सहायक इकाइयों का निर्माण सम्मिलित होगा।
    - **चरण-II** में तीन घटक सम्मिलित होंगे - लोअर ओर बाँध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज।
  - यह नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत परियोजना है।

लाभान्वित होने वाले क्षेत्र:
  - यह परियोजना बुंदेलखंड में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में विस्तृत है।
  - यह परियोजना जल की कमी का सामना कर रहे इस क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी होगी।
- **पूर्णता:** इसे आठ वर्षों में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

नदियों को जोड़ने के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (ILR) कार्यक्रम

- जल संसाधन मंत्रालय (तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय) और केंद्रीय जल आयोग ने 1980 में जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) तैयार की।
- इसके अंतर्गत नदियों को जोड़ने का कार्य राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) को सौंपा गया है।
- NPP के दो घटक हैं:
  - हिमालयी नदियों का विकास; और
  - प्रायद्वीपीय नदियों का विकास।
- NPP के अंतर्गत 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है।
  - हिमालयी घटक के अंतर्गत 14 लिंक और प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 लिंक हैं।

- **हिमालयी नदियों का विकास:** भारत, नेपाल एवं भूटान में गंगा और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों पर भंडारण जलाशयों का निर्माण।
  - गंगा की पूर्वी सहायक नदियों के अधिशेष प्रवाह को पश्चिम की ओर स्थानांतरित करने के लिए नहर प्रणालियों को आपस में जोड़ना।
- **प्रायद्वीपीय नदी विकास** घटक को चार प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है:
  - **महानदी-गोदावरी-कृष्णा-कावेरी** नदियों को आपस में जोड़ना तथा इन घाटियों में संभावित स्थलों पर भंडारण सुविधाओं का निर्माण करना।
  - मुंबई के उत्तर तथा तापी के दक्षिण में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को आपस में जोड़ना।
  - **केन-चंबल** नदियों को आपस में जोड़ना।

नदी जोड़ो परियोजनाओं का महत्त्व

- **जल अभाव में कमी:** यह जल-समृद्ध क्षेत्रों से अधिशेष जल को जल-कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने में सहायता करता है, जिससे जल की कमी की समस्या का समाधान होता है।
- **कृषि के लिए बेहतर जल उपलब्धता:** कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुष्क क्षेत्रों में जल उपलब्धता में वृद्धि।
- **बाढ़ का शमन:** नदियों को आपस में जोड़ने से भारी वर्षा के दौरान अतिरिक्त जल वितरित करने में सहायता मिलती है, जिससे विशिष्ट क्षेत्रों में बाढ़ का जोखिम कम होता है।
- **जलविद्युत क्षमता में वृद्धि:** नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं के लिए जलाशयों और नहरों के निर्माण से जलविद्युत उत्पादन के अवसर सृजित होते हैं।
- **रोजगार का सृजन:** आपस में जोड़ने वाले बुनियादी ढाँचे के निर्माण और रखरखाव से रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, जो आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।
- **संघर्ष समाधान:** नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाएँ जल के अधिक न्यायसंगत वितरण को प्रदान करके जल संसाधनों पर अंतर-राज्यीय विवादों को संभावित रूप से कम करती हैं।

नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित चिंताएँ

- **पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान:** प्राकृतिक नदी मार्गों को बदलने और जल को मोड़ने से पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान आ सकता है, जिससे आवास की हानि, जैव विविधता में परिवर्तन एवं प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना हो सकती है।
- **समुदायों का विस्थापन:** नदियों को आपस में जोड़ने के लिए बाँधों, जलाशयों और नहरों के निर्माण के परिणामस्वरूप समुदायों का विस्थापन होता है, जिससे प्रभावित जनसंख्या के लिए सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।
- **अंतर-राज्यीय विवाद:** नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं में प्रायः कई राज्य सम्मिलित होते हैं, और जल के बँटवारे को लेकर असहमति उत्पन्न होती है, जिससे अंतर-राज्यीय विवाद होते हैं।

- **वित्तीय व्यवहार्यता:** नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसकी लागत प्रायः शुरुआती अनुमान से अधिक होती है।
- **भूकंपीय जोखिम:** बड़े बाँधों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के कारण भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों में जोखिम बढ़ जाता है।
- **रखरखाव के मुद्दे:** रखरखाव की उपेक्षा करने से सिस्टम में विफलता और प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।
- **समुदाय का विरोध:** स्थानीय समुदाय और पर्यावरण कार्यकर्ता प्रायः पर्यावरण, आजीविका एवं सांस्कृतिक विरासत पर उनके प्रभाव के बारे में चिंताओं के कारण नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं का विरोध करते हैं।

निष्कर्ष

- चिंताओं को संबोधित करने के लिए व्यापक योजना, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, सामुदायिक सहभागिता और पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया की आवश्यकता है।
- नदी जोड़ परियोजनाओं के संभावित नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों और अनुकूली रणनीतियों को शामिल करते हुए सतत जल प्रबंधन प्रथाएँ आवश्यक हैं।

Source: IE

असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) 2023-24

संदर्भ

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने संदर्भ अवधि अक्टूबर, 2023 – सितंबर, 2024 के लिए 2023-24 के लिए असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) जारी किया है।

ASUSE का कवरेज

- **भौगोलिक कवरेज:** ASUSE सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गाँवों को छोड़कर) को समाविष्ट करता है।
- **क्षेत्रवार,** यह सर्वेक्षण तीन क्षेत्रों अर्थात विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवाओं (निर्माण को छोड़कर) से संबंधित असंगठित गैर-कृषि प्रतिष्ठानों को प्रदर्शित करता है।
- **आर्थिक विशेषताएँ:** श्रमिकों की संख्या, GVA, भुगतान किए गए पारिश्रमिक, स्वामित्व वाली अचल संपत्ति, बकाया ऋण आदि।

ASUSE 2023-24 के मुख्य अंश

- **प्रतिष्ठानों में वृद्धि:** इस क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 2022-23 में 6.50 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 7.34 करोड़ हो गई, जो 12.84% की वृद्धि दर्शाती है।

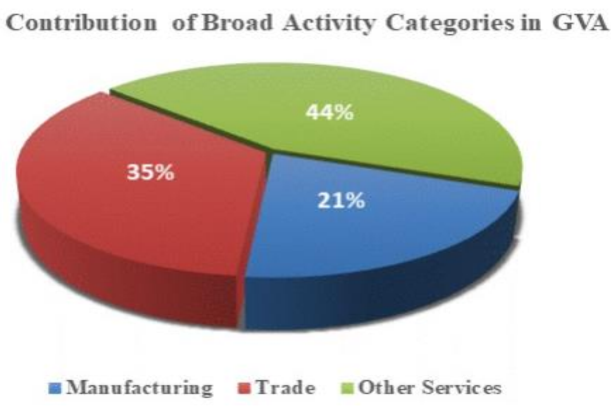

- आर्थिक प्रदर्शन का एक प्रमुख संकेतक सकल मूल्य वर्धन (GVA) अन्य सेवा क्षेत्रों में 26.17% की वृद्धि के कारण 16.52% बढ़ा।
  - प्रति कर्मचारी सकल मूल्य वर्धन (GVA), जो इस क्षेत्र की श्रम उत्पादकता का एक माप है, वर्तमान मूल्यों पर 2022-23 में 1,41,769 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 1,49,742 रुपये हो गया, जो 5.62% की वृद्धि दर्शाता है।
- **उत्पादकता मीट्रिक्स:** प्रति प्रतिष्ठान सकल उत्पादन मूल्य (GVO) वर्तमान मूल्यों में 4,63,389 रुपये से बढ़कर 4,91,862 रुपये हो गया।
- **मजबूत श्रम बाजार प्रदर्शन:** महिला स्वामित्व वाले स्वामित्व प्रतिष्ठानों का प्रतिशत 2022-23 में 22.9% से बढ़कर 2023-24 में 26.2% हो गया है।
  - पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में प्रति कर्मचारी औसत पारिश्रमिक में भी 13% की वृद्धि हुई, जो मजदूरी के स्तर में सुधार का संकेत है।

- **बेहतर डिजिटल पहुँच:** इंटरनेट का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों का प्रतिशत 2022-23 में 21.1% से बढ़कर 2023-24 में 26.7% हो गया है।

निष्कर्ष

- यह दिवसटा नीति निर्माण के लिए एक महत्त्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का समर्थन करता है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), कपड़ा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जैसे मंत्रालयों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तथा हितधारकों को सूचित, दिवसटा-संचालित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है।

Source: PIB

अमेरिका और चीन ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते को नवीनीकृत किया

संदर्भ

- चीन और अमेरिका ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर अपने समझौते को पाँच वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

परिचय

- इस समझौते पर पहली बार 1979 में हस्ताक्षर किए गए थे।
  - तत्पश्चात, प्रत्येक पाँच वर्ष में इस समझौते का नवीनीकरण किया जाता रहा है। .
- अमेरिका एवं चीन दोनों ही सह-अध्यक्ष नियुक्त करते हैं और प्रत्येक देश की एक एजेंसी को **'कार्यकारी अभिकर्त्ता'** के रूप में नामित किया जाता है।
- एजेंसियों के मध्य अतिरिक्त प्रोटोकॉल भी हैं और कृषि से लेकर परमाणु संलयन तक विभिन्न क्षेत्रों में 40 उप-समझौते हैं।
- नवीनीकृत समझौते में शोधकर्ता सुरक्षा एवं दिवसटा पारस्परिकता बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं, तथा सहयोग को बुनियादी शोध और अंतर-सरकारी स्तरों तक सीमित रखा गया है।

द्विपक्षीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौतों का महत्त्व

- वे सहयोग के ऐसे रूपों का मार्ग प्रशस्त करते हैं जो राज्य संस्थाओं तक सीमित नहीं हैं।
- वे संयुक्त अनुसंधान, छात्रों एवं वैज्ञानिकों के लिए देशों के मध्य आवागमन की सुविधा भी प्रदान करते हैं, संस्थागत सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं और द्विपक्षीय अनुसंधान केंद्र स्थापित करते हैं।
  - भारत ने 83 देशों के साथ ऐसे समझौते किए हैं।

चीन और अमेरिका के मध्य नवीनीकृत समझौते का क्या अर्थ है?

- इस वर्ष समझौते के नवीनीकरण से पहले, अमेरिका के सामने तीन विकल्प थे:
  - इसे हमेशा की तरह पाँच वर्ष के लिए नवीनीकृत करना,
  - इसे रद्द करना या
  - इसके दायरे को सीमित करने और अतिरिक्त शर्तें जोड़ने के लिए नए उपायों के साथ इसे नवीनीकृत करना।
  - अमेरिका ने तीसरा विकल्प चुना, जबकि अमेरिका के लिए समझौते की निरंतर उपयोगिता के बारे में गहरी चिंताएँ हैं।
- **बुनियादी अनुसंधान:** यह अंतर-सरकारी स्तर, बुनियादी अनुसंधान और पारस्परिक लाभ के पहले से पहचाने गए विषयों तक ही सीमित रहेगा।
- **बहिष्करण:** समझौते में महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित कार्य को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है और इसमें कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए अपने शोधकर्ताओं की सुरक्षा तथा संरक्षा की रक्षा के लिए नई सुरक्षा व्यवस्थाएँ शामिल हैं।
  - चीन कथित तौर पर अमेरिका की कीमत पर अनुपातहीन लाभ नहीं उठाएगा।

अमेरिका-चीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते के नवीनीकरण के निहितार्थ तथा अमेरिका और चीन संबंधों में भारत की हिस्सेदारी:

- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:** भारत को चीन के साथ बढ़ती R&D प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में तीव्रता से अग्रणी रहा है, जिससे AI, 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग में चुनौतियाँ सामने आ रही हैं।
- **रणनीतिक सहयोग:** अंतरिक्ष अनुसंधान, IT और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में भारत का भविष्य का विकास विकसित देशों के साथ तकनीकी एवं अनुसंधान साझेदारी को प्रगाढ़ करने पर निर्भर करेगा।
- **मजबूत द्विपक्षीय समझौते:** भारत को प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अन्य देशों के साथ अपने द्विपक्षीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौतों को बढ़ाना चाहिए।
- **भू-राजनीतिक अवसर:** चीन और USA के मध्य तनाव भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के अवसर प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से क्वाड जैसे गठबंधनों के माध्यम से, क्योंकि भारत इंडो-पैसिफिक में चीन के प्रभाव का सामान करने के लिए USA और उसके सहयोगियों के साथ जुड़ता है।
- **व्यापार और आर्थिक जोखिम:** चूंकि चीन और USA दोनों प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं, इसलिए उनके मध्य खराब होते संबंध वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
  - दोनों देशों के साथ भारत का व्यापार टैरिफ, प्रतिबंधों या आपूर्ति शृंखला व्यवधानों से प्रभावित हो सकता है।
- **सुरक्षा चिंताएँ:** बढ़ते अमेरिका-चीन तनाव से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सैन्य गतिविधियाँ और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे भारत के लिए सुरक्षा चिंताएँ बढ़ सकती हैं, विशेष रूप से चीन के साथ इसकी सीमा पर।

निष्कर्ष और आगे की राह

- इस समझौते ने चीन को 1979 में एक जूनियर पार्टनर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत वैश्विक प्रतियोगी के रूप में उभारने में सहायता की।
- यद्यपि ट्रम्प प्रशासन इस समझौते की अधिक सूक्ष्मता से जाँच कर सकता है, लेकिन वह चीन के साथ सहयोग बनाए रखने के महत्त्व को पहचानता है।
- अमेरिका-चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते का नवीनीकरण भारत के लिए अपनी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को उजागर करता है, ताकि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके और वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में अपनी स्थिति बनाए रखी जा सके।
- भारत को व्यापार और निवेश के अवसरों का लाभ उठाते हुए इन दो दिग्गजों के बीच तनाव को कम करने की आवश्यकता है।
- भारत का लक्ष्य अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना है, अमेरिका या चीन के साथ जबरदस्ती गठबंधन से बचना है, जबकि अमेरिका के साथ सुरक्षा साझेदारी एवं चीन के साथ आर्थिक संबंधों को संतुलित करना है।
- भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके योगदान को मान्यता मिले और वह तकनीकी प्रगति के साथ सामंजस्य बनाए रखे।

Source: TH

चुनाव आयोग के चुनाव संचालन नियम में संशोधन

समाचार में

कानून और न्याय मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियमों के नियम 93(2)(a) में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की।

चुनाव संचालन नियम

- निर्वाचन संचालन नियम, 1961, नियमों का एक समूह है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार चुनाव आयोजित करने के संबंध में प्रावधान प्रदान करता है।

नवीनतम संशोधन

- हाल ही में चुनाव आयोग (EC) की सिफारिश के पश्चात् केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा संशोधन किया गया था।
- संशोधन से पहले, नियम में कहा गया था कि चुनाव से संबंधित सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होने चाहिए।
    - संशोधन के पश्चात्, नियम अब कहता है कि केवल निर्दिष्ट चुनाव से संबंधित कागजात ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

संशोधन के पीछे तर्क

- यह संशोधन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयोग (EC) को मतदान केंद्रों के CCTV फुटेज सहित सभी चुनाव दस्तावेजों को साझा करने के निर्देश के बाद किया गया है।
- चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि वोटों की गोपनीयता के उल्लंघन और CCTV फुटेज (कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके) के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंताएँ थीं।
- संशोधन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (जैसे, CCTV फुटेज) स्वचालित रूप से "चुनाव पत्र" शब्द के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते हैं।

आलोचना

- कार्यकर्ताओं का तर्क है कि संशोधन नागरिकों के चुनाव संबंधी जानकारी तक पहुँचने के अधिकार को सीमित करता है, जो चुनावों में पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है।
- संशोधन उन दस्तावेजों (जैसे मतदाता मतदान पर पीठासीन अधिकारियों की डायरी) तक पहुँच को प्रतिबंधित करता है जो पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण हैं लेकिन चुनाव नियमों के संचालन में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किए गए थे।
- विपक्ष ने संशोधन की आलोचना की है, दावा किया है कि यह चुनावी अखंडता के ह्रास के बारे में उनकी चिंताओं को दर्शाता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- चुनाव संचालन नियमों में संशोधन आधुनिक समाज की मांगों के अनुरूप चुनावी प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- पारदर्शिता बढ़ाकर, पहुँच में सुधार करके, सुरक्षा को मजबूत करके और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर, ये परिवर्तन चुनाव प्रणाली में सुधार करने, इसे अधिक कुशल एवं विश्वासजनक बनाने का प्रयास करते हैं।
- हालाँकि, इन संशोधनों की सफलता सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन, निरंतर निगरानी और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करने पर निर्भर करेगी।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

PM-ABHIM योजना

समाचार में

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को PM-ABHIM के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) का परिचय:

- इसे 25 अक्टूबर 2021 को 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुभारंभ किया गया था।
  - इसे पाँच वर्षों (2021-2026) में लागू किया जाएगा।
- इसमें केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) और केंद्रीय क्षेत्र (CS) दोनों घटक शामिल हैं।
- यह प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल स्तरों पर स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार और भविष्य की महामारियों की तैयारी पर केंद्रित है।
- **उद्देश्य:** शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान को सुदृढ़ करना।
- **PM-ABHIM के अंतर्गत प्रमुख उपाय:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) बनाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता।
  - ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों और एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना।
  - क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों का विकास।
  - निगरानी, स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया, अनुसंधान और महामारी की तैयारी को बढ़ाना।
  - मनुष्यों और पशुओं में संक्रामक रोगों के प्रबंधन के लिए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण।

Source :TH

शेर पूँछ वाले मकाक (Lion-tailed macaque)

समाचार में

एक हालिया अध्ययन में मानव-वन्यजीव संपर्क में वृद्धि के कारण शेर-पूँछ वाले मकाक पर बढ़ते खतरे पर प्रकाश डाला गया है।

शेर जैसी पूँछ वाला मकाक (मकाका सिलेनु)

- यह सिलेनस समूह का सदस्य है।
- यह मानव-परिवर्तित वातावरण के लिए अपनी अनुकूलन क्षमता के लिए जाना जाता है।
- **निवास स्थान:** मुख्य रूप से वृक्षीय, यह प्रजाति प्राथमिक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन की ऊपरी वितान को पसंद करती है ।
- **वितरण:** यह दक्षिण-पश्चिमी भारत में पश्चिमी घाट की पहाड़ी श्रृंखलाओं के लिए स्थानिक है।
  - यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में पाया जा सकता है।
- **जोख़िम:** इसकी जनसंख्या को आवास की हानि, विखंडन और मानव अतिक्रमण से जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
- **संरक्षण स्थिति:** इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है और CITES के परिशिष्ट I के तहत संरक्षित किया गया है।

Source :TH

माइटोकॉन्ड्रियल DNA और जैविक उम्र बढ़ने के बीच सहसंबंध

संदर्भ

- शोधकर्त्ताओं ने पाया है कि mtDNA के विलोपन उत्परिवर्तन और असामान्य अभिव्यक्ति मनुष्यों में जैविक उम्र बढ़ने के साथ सहसंबंधित है, जिससे माइटोकॉन्ड्रियल गिरावट में देरी करने की क्षमता मिलती है।

माइटोकॉन्ड्रिया क्या हैं?

- माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के ऊर्जा स्रोत एडिवसनोसिन ट्राइफॉस्फेट (ATP) संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिका का ऊर्जागृह हैं।
  - mtDNA माइटोकॉन्ड्रियल फ़ंक्शन के लिए आवश्यक प्रोटीन के केवल एक छोटे उपसमूह को एनकोड करता है।
  - और उनकी शिथिलता उम्र बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
    - माइटोकॉन्ड्रियल DNA (mtDNA) में उम्र से संबंधित विलोपन उत्परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रियल फ़ंक्शन में गिरावट में योगदान करते हैं, विशेष रूप से मांसपेशियों की कोशिकाओं में।
- कई और माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन परमाणु जीनोम द्वारा एनकोड किए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियन और नाभिक (यानी साइटोप्लाज्म) के बाहर स्थित कोशिका के हिस्से में बनने के पश्चात् माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं।
  - व्यक्तियों को माइटोकॉन्ड्रिया केवल मां के अंदिवस के माध्यम से ही विरासत में प्राप्त होता है।

मांसपेशियों की हानि

- जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम कंकाल की मांसपेशियों और मस्तिष्क जैसे ऊतकों में अपने जीनोम के कुछ हिस्से खो देते हैं।

- ये हानि, जिन्हें विलोपन उत्परिवर्तन कहा जाता है, धीरे-धीरे माइटोकॉन्ड्रियन नामक कोशिका घटक के कार्य को नष्ट कर देते हैं।
- मांसपेशियों की कोशिकाएँ अपने संकुचनशील कार्य को सहारा प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्यात्मक माइटोकॉन्ड्रिया की कमी से मृत्यु हो जाती हैं और इससे मांसपेशियों का द्रव्यमान कम हो जाता है।

Source: TH

जल्लीकट्टू के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

संदर्भ

- तमिलनाडु राज्य सरकार ने 2025 में जल्लीकट्टू आयोजनों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।

मुख्य विशेषताएँ

- जल्लीकट्टू आयोजनों को तमिलनाडु पशु क्रूरता निवारण (जल्लीकट्टू का आयोजन) नियम, 2017 का अनुपालन करना चाहिए।
  - सरकार द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट क्षेत्रों में आयोजित होने वाले आयोजनों के लिए ही अनुमति दी जानी चाहिए।
- राजस्व विभाग को पर्याप्त स्थान और सुरक्षा के लिए आयोजन स्थल का निरीक्षण करना चाहिए, जिसमें 5 किलोमीटर के दायरे में आस-पास के कुओं को बंद करना सम्मिलित है।

जल्लीकट्टू

- **अर्थ:** 'जल्लीकट्टू' शब्द तमिल शब्द 'सल्ली कासू' से आया है जिसका अर्थ है सिक्के एवं कट्टू जिसका अर्थ है पुरस्कार राशि के रूप में बैलों के सींगों से बंधा हुआ पैकेज।
  - यह सामान्यतः पोंगल के मौसम में आयोजित किया जाता है।
- यह एक ऐसा खेल है जिसमें पुरुष एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि वे उत्तेजित बैलों के कूबड़ को पकड़ सकें जिन्हें खुले मैदान में छोड़ा जाता है।
- **ऐतिहासिक संबंध:** जल्लीकट्टू एक पुरानी परंपरा है।
- मोहनजो-दारो में मिली एक मुहर में बैल को नियंत्रण में करने का एक प्राचीन संदर्भ मिलता है, जो 2,500 ईसा पूर्व और 1,800 ईसा पूर्व के मध्य की है।
  - इस खेल को येरु तझुवल या "बैल को गले लगाना" कहा जाता था।

भारत में संवैधानिक सुरक्षा और कानून

- अनुच्छेद 48A के अनुसार, पशुओं की शक्ति में सुधार करना तथा देश के वन्यजीवों की सुरक्षा करना राज्य का उत्तरदायित्व है।
- अनुच्छेद 51A(g) के अनुसार, वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा और सुधार करना तथा सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्त्तव्य है।

- संसद ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (PCA अधिनियम), 1960 पारित किया।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का उद्देश्य जीव-जंतुओं तथा वनस्पतियों दोनों की वन्यजीव प्रजातियों को संरक्षित करना और उनके अस्तित्व के लिए आरक्षित स्थानों की स्थापना करना है।

Source: TH

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER)

संदर्भ

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) सूचकांक नवंबर में रिकॉर्ड 108.14 पर पहुँच गया, जो इस कैलेंडर वर्ष के दौरान 4.5% मजबूत हुआ।

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) का परिचय

- REER किसी देश की मुद्रा के मूल्य की तुलना उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं के भारित औसत से करता है।
- यह किसी राष्ट्र की अपने व्यापारिक साझेदारों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का सूचक है।
- बढ़ता हुआ REER यह दर्शाता है कि देश अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो रहा है।
- नाममात्र विनिमय दर के विपरीत, जो केवल मुद्रा मूल्य को दर्शाती है, REER सापेक्ष मूल्य स्तरों की तुलना करने के लिए मुद्रास्फीति (घरेलू और विदेशी) को समायोजित करती है।

महत्त्व:

- **मूल्यवृद्धि:** उच्च REER यह दर्शाता है कि किसी देश की मुद्रा वास्तविक रूप से मूल्यवृद्धि हुई है, जिससे उसका निर्यात अधिक महँगा हो गया है और आयात सस्ता हो गया है। इससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है।
- **मूल्यह्रास:** कम REER यह दर्शाता है कि मुद्रा वास्तविक रूप से मूल्यह्रास हुई है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है और आयात अधिक महँगा हो गया है।

Source: IE

वीर बाल दिवस

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में वीर बाल दिवस समारोह में भाग लिया, जहाँप्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) विजेताओं को सम्मानित किया गया।

वीर बाल दिवस का परिचय

- 'बहादुर बच्चों का दिन' के रूप में अनुवादित, वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वप्रथम 2022 में मनाया जाने वाला यह दिवस दसवें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के छोटे बेटों - साहिबज़ादा जोरावर सिंह (9) और साहिबज़ादा फ़तेह सिंह (7) की शहादत की याद में मनाया जाता है।
- 26 दिसंबर, 1705 को सरहिंद के नवाब वज़ीर खान के आदेश पर दो छोटे लड़कों को ईंटों से ज़िंदा चिनवा दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपना धर्म छोड़ने से मना कर दिया था।

- ईंट की दीवार गिरने के पश्चात्, खान ने जल्लादों को दोनों युवा राजकुमारों का गला काटने का आदेश दिया।

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP)

- यह पुरस्कार 5-18 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सात श्रेणियों में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है: बहादुरी, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा तथा खेल।
- यह पुरस्कार भारत में बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। PMRBP के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पुस्तिका दी जाती है।

Source: IE

सुशासन दिवस

संदर्भ

- पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है।

सुशासन दिवस का परिचय

- यह दिन सर्वप्रथम 2014 में मनाया गया था और इसे सुशासन दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
- इस दिन का उद्देश्य नागरिकों के बीच सरकारी जवाबदेही और प्रशासन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है, साथ ही भारतीय सिविल सेवकों के लिए "सुशासन" को एक अभ्यास के रूप में स्थापित करना है।
- 2024 के सुशासन दिवस का विषय है "भारत का विकसित भारत का मार्ग: सुशासन और डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।"

अटल बिहारी वाजपेयी

- **जन्म:** 25 दिसंबर, 1924, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में।
- **राजनीति में प्रारंभिक भागीदारी:** 1942 में अपने छात्र जीवन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए।
- **प्रधानमंत्री पद:** तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे - 1996 में थोड़े समय के लिए, 1998-1999 में 13 महीने के लिए और 1999 से 2004 तक पूर्णकालिक।
- **पहले गैर-कांग्रेसी नेता:** प्रधानमंत्री के रूप में पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता बने।
- **परिवर्तनकारी पहल:** किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे प्रमुख कार्यक्रम प्रारंभ किए।
- **परमाणु उपलब्धि:** भारत को पूर्ण परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित करने में अहम भूमिका निभाई।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा:** संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता।
- **भारत रत्न:** 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित।

Source: IE

बॉक्सिंग दिवस (Boxing Day)

संदर्भ

- बॉक्सिंग दिवस टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेला जा रहा है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा।

परिचय

- बॉक्सिंग दिवस क्रिसमस दिवस के अगले दिन मनाया जाने वाला अवकाश है।
    - यूनाइटेड किंगडम के साथ-साथ स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और कनाडा जैसे कई अन्य देशों में बॉक्सिंग दिवस एक सार्वजनिक अवकाश है जो 1871 में आधिकारिक हो गया।
- **उत्पत्ति:** "बॉक्सिंग दिवस" शब्द का सर्वप्रथम 1833 में उल्लेख किया गया था, लेकिन नाम की आधिकारिक उत्पत्ति कभी निर्धारित नहीं की गई।
    - यह कम भाग्यशाली लोगों को देने की परंपरा से जुड़ा हुआ है।
    - ऐसा माना जाता था कि इस दिन, नियोक्ता अपने सेवकों को "क्रिसमस बॉक्स" के रूप में जाने जाने वाले उपहार देते थे।
    - सेवक क्रिसमस के दिन कार्य करते थे और अगले दिन अपने परिवार से मिलने जाते थे।
- बॉक्सिंग दिवस हाल ही में खेल देखने का पर्याय बन गया है।
    - इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में विभिन्न लीग फुटबॉल और रग्बी मैच आयोजित करती हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं दक्षिण अफ्रीका बॉक्सिंग दिवस पर क्रिकेट मैचों के लिए जाने जाते हैं।

Source: IE

■■■■